रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1974] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2015/भाद्र 26,1937
No. 1974] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2015/BHADRA 26, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2015

का.आ. 2512(अ).—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आशोधनों के अध्यधीन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रवृत्त दिल्ली सम्पत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 (2009 का दिल्ली अधिनियम (1) का विस्तार चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में करती है, अर्थात् :—

आशोधन

1. धारा 1 में,-

(i) उप-धारा (2) में, "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" शब्दों के लिए "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) उप-धारा (3) में, "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल" शब्दों के लिए "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. धारा 2 में, खण्ड (ख) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ख) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ; ";

3. धारा 6 में, "उप राज्यपाल" शब्दों के लिए, "प्रशासक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

4. धारा 8 में, "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" शब्दों के लिए "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. यू.11020/06/2014-यू टी एल]

एम. गोपाल रेड्डी, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

दिल्ली सम्पत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007

(वर्ष 2009 का दिल्ली अधिनियम 1)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा 31 मार्च, 2008 को यथापारित)

(17 जनवरी, 2009)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संपत्तियों के विरूपण की रोकथाम तथा उससे संबंधित मामलों अथवा आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाला एक अधिनियम।

इसे भारतीय गणतंत्र के उनसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(1) इस अधिनियम को दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 कहा जाए।

(2) यह समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित है।

(3) यह उस तारीख से प्रभावी होगा जैसा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विरूपण" में किसी भी तरीके से रूप अथवा आकार को बिगाड़ना अथवा उसे विरूपित करना, क्षति पहुंचाना, विकृत करना, खराब करना या किसी भी तरीके से हानि पहुंचाना सम्मिलित है तथा "विरूप" शब्द का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ख) "उप राज्यपाल" का अर्थ है अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का उप राज्यपाल तथा संविधान के अनुच्छेद 239 क क के अंतर्गत यथा नामोद्दिष्ट;

(ग) "सम्पति" में कोई भवन, कुटिया, ढांचा, दीवार, वृक्ष, बाड़, पोस्ट, खम्भा या अन्य कोई निर्माण सम्मिलित है,

(घ) "लेखन" में स्टेन्सिल द्वाराप्रस्तुत छपाई, चित्रकारी, सजावट, अक्षरांकण, अलंकरण इत्यादि सम्मिलित हैं।

3. संपत्ति विरूपण के लिए अर्थ दण्ड

(1) जो भी व्यक्ति सार्वजनिक मत में किसी संपत्ति को लिखकर अथवा स्याही, चॉक, पेन्ट या किसी अन्य सामग्री से किसी प्रकार से सम्पत्ति का विरूपण करता है, एक वर्ष के कारावास की सजा अथवा अर्थ दण्ड जो पचास हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों सजा का भागी होगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किया गया कोई अपराध किसी अन्य व्यक्ति अथवा कम्पनी या अन्य निकाय निगमित अथवा व्यक्तियों की एसोसिएशन (निगमित हो अथवा नहीं) के लाभार्थ किया गया है, उस स्थिति में ऐसा अन्य व्यक्ति तथा

प्रत्येक सभापति, अध्यक्ष,निदेशक, साझेदार, प्रबंधक, सचिव, एजेंन्ट या अन्य कोई अधिकारी अथवा उसके प्रबंधन से संबंधित अन्य व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, जब तक यह प्रमाणित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी अथवा सहमति के बिना किया गया है, उसे ऐसे अपराध का अपराधी समझा जाएगा।

(3) पूर्वोक्त दण्ड भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 425 एवं धारा 434 के उपबंधों तथा सम्बद्ध नगर निगम अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं होंगे।

4. अपराधों का प्रशमन

(1) विकृत/विरूप करने का कोई अपराध- चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में किया गया हो, धारा 3 के अंन्तर्गत दण्डनीय होगा, चाहे यह अभियोग चलाने से पूर्व या बाद में हो सकता है, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकरणों द्वारा समाधान शुल्क से समाधान होगा और उतनी राशि के लिए होगा जितनी राशि सरकार, इस संबंध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) जब किसी अपराध का उप-धारा (1) के अंतर्गत समाधान शुल्क से समाधान कर लिया गया हो, तब यदि अपराधी अभिरक्षा में है तो उसे छोड़ दिया जाएगा और ऐसे अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध आगे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी।

5. संज्ञेय अपराध होना

इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।

6. लिखित इत्यदि को रगड़ कर मिटाने के लिए उप राज्यपाल की शक्ति

धारा 3 के उपबंधों की प्रतिकूलता के बिना, उप राज्यपाल किसी लिखित को रगड़कर मिटाने या किसी सम्पत्ति से किसी विरूपण को हटाने या किसी चिह्न को हटाने के लिए यथावश्यक कदम उठाने के लिए सक्षम होंगे।

7. अन्य कानूनों पर अधिनियम अभिभावी होना

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में निहित प्रतिकूलता के होते हुए भी प्रभाव डालेंगे।

परंतु शर्त यह है कि इस अधिनियम के उपबंध उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा विज्ञापन के लिए विधिवत प्राधिकृत स्थानों पर प्रदर्शित विज्ञापनों पर लागू नहीं होंगे।

8. निरसन तथा बचाव

जिस दिन से दिल्ली सम्पत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 प्रभावी होगा, उस दिन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पश्चिम बंगाल सम्पत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 1976 (1976 का बंगाल अधिनियम संख्या 21) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व की गई बातें या किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर प्रभावी नहीं रहेगा।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2015

S.O. 2512(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Delhi Prevention of Defacement of Property Act, 2007 (Delhi Act 1 of 2009), as in force in the National Capital Territory of Delhi on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:-

MODIFICATIONS

1. In section 1,-

(i) in sub-section (2), for the words " **National Capital Territory of Delhi**", the words " **Union Territory of Chandigarh**" shall be substituted;

(ii) in sub-section (3), for the words " **Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi**", the words " **Administrator of Union Territory of Chandigarh**" shall be substituted;

2. In section 2, for clause (b), following clause shall be substituted, namely:-
"(b) "Administrator" means the Administrator of Union Territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution;";

3. in section 6, for the words "Lieutenant Governor", the word "Administrator" shall be substituted;

4. in section 8, for the words " National Capital Territory of Delhi", the words "Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.

[F. No.U-11020/06/2014-UTL]

M. GOPAL REDDY, Jt. Secy.

ANNEXURE

The Delhi Prevention of Defacement of Property Act, 2007

(Delhi Act 1 of 2009)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 31st March 2008)

(17th January, 2009)

An Act to provide for the prevention of defacement of properties and for matters connected therewith or incidental thereto in the National Capital Territory of Delhi.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-ninth year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement**

(1) This Act may be called the Delhi Prevention of Defacement of Property Act, 2007.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. **Definitions**

In this Act, unless the context otherwise requires, -

(a) "defacement" includes impairing or interfering with the appearance or beauty, damaging, disfiguring, spoiling or injuring in any other way whatsoever and the word "deface" shall be construed accordingly;

(b) "Lieutenant Governor" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under Article 239 and designated as such under Article 239AA of the Constitution;

(c) "property" includes any building, hut, structure, wall, tree, fence, post, pole or any other erection;

(d) "writing" includes printing, painting, decoration, lettering, ornamentation etc., produced by stencil.

3. Penalty for defacement of property

(1) Whoever defaces any property in public view by writing or marking with ink, chalk, paint or any other material except for the purpose of indicating the name and address of the owner or occupier of such property, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both,

(2) When any offence is committed under sub-section (1) is for the benefit of some other person or a company or other body corporate or an association of persons (whether incorporated or not) then, such other person and every **president, chairman, director,** partner, manager, secretary, agent or any other officer or persons connected with the management thereof, as the case maybe, shall, unless he proves

the offence was committed without his knowledge or consent, be deemed to be guilty of such offence.

(3) The aforesaid penalties will be without prejudice to the provisions of Section 425 and Section 434 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and the provisions of relevant Municipal Acts.

4. Composition of offences

(1) Any offence of defacement whether committed before or after the commencement of this Act punishable under Section 3, may either before or after the institution of the prosecution, be compounded by such officers or authorities and for such amount as the Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence.

5. **Offence to be cognizable**

An offence punishable under this act shall be cognizable

6. Power of the Lieutenant Governor to erase writing, etc.

Without prejudice to the provisions of Section 3, it shall be competent for the Lieutenant Governor to take such steps as may be necessary for erasing any writing, freeing any defacement or removing any mark from any property.

7. Act to override other Laws

The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other laws for the time being in force:

Provided that the provisions of this Act shall not be applicable to advertisements displayed at duly authorized public spaces for advertising by appropriate authorities.

8. Repeal and Savings

On the day on which the Delhi Prevention of Defacement of Property Act, 2007 comes into force, the West Bengal Prevention of Defacement of Property Act, 1976 (Bengal Act No. 21 of 1976) as extended to the National Capital Territory of Delhi shall cease to have effect except in case of things done or omitted to be done before the commencement of this Act.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.